न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	तारीख आदेश
1/147	16.08.2024	15.09.2025

बउनवान

01. अशोक कुमार पुत्र भीमसैन
02. अनिता पत्नी सतीश
03. आकाश पुत्र सतीश
04. विकास पुत्र सतीश
05. बृजबाला पुत्री भीमसेन
06. रोहित कुमार पुत्र कुन्दनलाल
07. रक्षा शर्मा पुत्री कुन्दनलाल
08. सुषमा देवी बेवा कुन्दनलाल जाति समस्त कश्मीरी ब्राह्मण निवासीयान ग्राम दादर तहसील जिला अलवर राज०

वादीगण

बनाम

01. रहमान पुत्र नूर मोहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद मे वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादी ग्राम दादर तहसील व जिला अलवर के निवासी है। वादीगण के कब्जे काश्त गैरखातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 19 ऐयर 26 रकबा 26 ऐयर व 24/2064 रकबा 5 ऐयर वाके ग्राम दादर में से हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 19 ऐयर में से रकबा 3 ऐयर व 26 रकबा 26 ऐयर विवादित है। वादीगण की आराजी से लगती हुई प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 51 ऐयर स्थित है। प्रतिवादी वादीगण की कब्जे काश्त गैरखातेदारी की आराजी की विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 25 रकबा 3 ऐयर व 26 रकबा 26 ऐयर में आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त करने में एवं उपयोग उपभोग करने में मजाहमत करता रहता है तथा आपत्ति करने पर झगडा फसाद करने पर उतारू हो जाता है। वादीगण शांति प्रिय व्यक्ति है व शांति पसन्द करते है व कानून में विश्वास रखते है। प्रतिवादी हमेशा धमकी देता रहता है कि वादीगण की आराजी पर जबरन बेदखल कर कब्जा करके रहेगा। विवादित आराजी से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादी विवादित आराजी से गैररवास्ता व गैरकाबिज

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

शक्स है। लेकिन वह बतोर बदयान्ती कानून की परवाह किये वगैर हम वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रतिवादी के विरूद्ध श्रीमान अदालत में पूर्व में भी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद उन्ही खसरा नम्बरान की बाबत दायर किया था। जिसमें पूर्व में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 13.06.2016 को अपने निर्णय से प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था कि प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 19 ऐयर में से 3 ऐयर व खसरा नम्बर 26 रकबा 26 ऐयर वाके ग्राम दादर में वादीगण के कब्जे कार्य, काश्तकारी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करें। वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करें। इस आशय का निर्णय पारित किया गया तब से वादीगण अपनी काश्त शान्ति पूर्वक कर रहा था। अब दिनांक 05.08.2024 को पुनः विवादित आराजी पर मौके पर आकर हम वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में बाधा पैदा की व जबरन बदेखल कर अपना जबरन कब्जा करने को उतारू हो गया। बइमदाद गवाहन यह घटना टाली गई तो प्रतिवादी ने एलानिया तौर पर दहशत व धमकी दी कि भविष्य में वादीगण को प्रतिवादी विर्वादित आराजी में कुल काश्त कार्य नहीं करने देगा और जबरन बदेखल कर अपना जबरन कब्जा करके रहेगा। इसलिए यह दावा हम वादीगण को प्रतिवादी के खिलाफ अदालत श्रीमान में पेश करना न्यायहित में अति आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। यदि प्रतिवादी ने बेईमानी व बदनियती से विवादित आराजी से हम वादीगण को जबरन बेदखल कर अपना जबरन कब्जा कर लिया और वादीगण को विवादित आराजी में कुल काश्तकारी कार्य नही करने दिया तो वादीगण के कानूनी हकूक जायल होगें तथा बेजा मुकदमेबाजी व झगडेबाजी बढेगी तथा वादीगण को भारी ना पूर्ति होने वाला नुकसान होगा। जिस कारण से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादी की विधिवत रूप से रजिस्टर्ड तलबी होने के बावजूद हाजिर अदालत नही होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गयी।

वकील वादीगण ने साक्ष्य गवाह में अशोक कुमार पुत्र भीमसेन का हलफनामा पेश किया तथा साक्ष्य दस्तावेज मे न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर उनवान अशोक कुमार बनाम रहमान वाद क्रमांक–01/245, निर्णय तथा डिक्री दिनांक–13.06.2016 क्रमशः EX1 व EX2, जमाबन्दी सम्वत 2069–2075 खाता संख्या नया 624 प्रमाणित प्रतिलिपि EX3 पेश किया।

पत्रावली में वकील वादी की बहस सुनी।

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि प्रतिवादी के विरूद्ध अदालत में पूर्व में भी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद उन्ही खसरा नम्बरान की बाबत दायर किया था। जिसमें पूर्व में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 13.06.2016 को अपने निर्णय से प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था कि प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 19 ऐयर में से 3 ऐयर व खसरा नम्बर 26 रकबा 26 ऐयर वाके ग्राम दादर में वादीगण के कब्जे कुल कार्य, काश्तकारी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करें। वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करें। अतः वर्तमान वादपत्र को स्वीकार करने की कृपा करें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की प्रति (सम्वत् 2069–2075) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण विवादित आराजी मे सा. देह अलॉटी गैर खातेदार (कस्टोडियन) दर्ज है, प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई सरोकार नही है। वादीगण की गैर खातेदारी के अनुसरण में विवादित आराजी पर कब्जा–काश्त भी जाहिर होती है। अतः प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हे कि ग्राम दादर मे स्थित गैरखातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 19 ऐयर मे से 03 ऐयर, 26 रकबा 26 ऐयर मे वादीगण के कब्जे–काश्त कुल कार्य काश्त कारी मे किसी प्रकार की रूकावट मजामहत नहीं करें, वादीगण को जबरन बेदखल कर जबरन अपना कब्जा नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
उपखण्ड (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक–15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)